न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली

बइजलाश श्री राधेश्याम, आर0ए0एस0

प्रार्थना पत्र संख्या 10/2018

प्रार्थी – निशानसिंह पुत्र हरभजनसिंह जाति सिख निवासी हाल खुडाला तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थी – राजस्थान सरकार व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 बाबत पालना करवाये जाने आदेश दिनांक 05.12.2012 अन्तर्गत अपील संख्या 2813/2005 अपीलाण्ट निशानसिंह बनाम राजस्थान सरकार

उपस्थिति –

प्रार्थी की ओर से श्री रमेश कुमार मेवाड़ा, अधिवक्ता

अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार

– आदेश –

दिनांक : 9/10/20

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत प्रस्तुत किया। प्रकरण क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण इस न्यायालय को वास्ते सुनवाई प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान् को जरिये नोटिस तलब किया। प्रक्रियानुसार कार्यवाही करते हुए बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री रमेश कुमार मेवाडा ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के विरूद्ध एक सीलिंग प्रकरण का विचारण होकर निर्णित किया गया, जिसमें प्रार्थी की खातेदारी भूमि को सरप्लस करते हुए अधिशेष घोषित किया गया। उक्त प्रकरण की प्रार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपील संख्या 2813/2005 में दिनांक 05.12.2012 को निर्णय पारित कर प्रार्थी की भूमि का पुनः नामान्तरकरण प्रार्थी के हक में दायर करने के आदेश दिए। उक्त आदेश को अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई, जिसके कारण उक्त आदेश अन्तिम

एवं पुष्ट हैं। इस आदेश की पालना नहीं करने के कारण प्रार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान में अवमानना याचिका दायर करवाई, जिसमें भी न्यायालय द्वारा कडा रूख इख्तियार करते हुए आदेश की तत्काल पालना करने के निर्देश दिए। इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं की जा रही है तथा प्रार्थी को न्याय से महरूम किया जा रहा हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपील संख्या 2813/2005 में पारित निर्णय की पालन कराने का आदेश प्रदान करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, उसका सक्षम स्तर पर परीक्षण करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज़ कराने का निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन किया, साथ ही माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपील संख्या 2813/2005 में पारित निर्णय दिनांक 05.12.2012 एवं अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 4828/2016 में पारित निर्णय दिनांक 04.07.2016 का भी ससम्मान अवलोकन किया। प्रकरण में विवादित आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 105/2001 (पुराना कानून) में दिनांक 14.12.2004 को निर्णय पारित करते हुए भूमि अधिग्रहण करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा इस आदेश को न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष चुनौती दी गई, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा सीलिंग अपील संख्या 2813/2005 में दिनांक 05.12.2012 को निर्णय पारित करते हुए अपील स्वीकार की गई तथा पूर्व में बेची गई भूमियों के अधिग्रहण को अनुचित ठहराते हुए ग्राम खुडाला के नामान्तरकरण संख्या 508 दिनांक 02.02.2005, अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि अधिग्रहण किये जाने की हद तक अनुचित होने से खारिज किया गया तथा विवादित आराजी को पूर्वानुसार अपीलार्थी के खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किए गए हैं। उक्त आदेश के विरूद्ध किसी भी सक्षम स्तर पर अपील दायर करवाई गई हो अथवा आदेश को चुनौती दी गई हो, ऐसा कोई भी तथ्य रेकर्ड पर नहीं है तथा न ही ऐसा कोई तथ्य अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया हैं। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी पक्ष की ओर से माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष पारित निर्णय की पालना करने हेतु वर्ष 2016 में दो माह का समय भी चाहा गया। इसके बावजूद भी निर्णय की पालना नहीं की गई है, जो कि अत्यन्त ही गंभीरता का विषय हैं। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में की जानी आवश्यक है, विधिक रूप से यदि किसी प्रकरण में अपील की जानी समीचीन हो, तो तद्नुसार कार्यवाही की जानी चाहिए, किन्तु अपील प्रस्तुत करने की समयावधि भी विधि में विहित है, तद्नुसार उक्त परिसीमा के तहत ही अपीलीय कार्यवाही हो सकती हैं। इस

प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से प्रश्नगत निर्णय के विरूद्ध किसी प्रकार की अपीलीय कार्यवाही नहीं की गई है तथा न ही निर्णय को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है। इसके अतिरिक्त निर्णय की पालना न किये जाने के कारण, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध, जो अवमानना याचिका प्रस्तुत की है, उसमें निर्णय की पालना हेतु समय चाहा गया है, जो इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि प्रकरण में अपीलीय कार्यवाही नहीं हुई। विधि का यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि न्याय होना ही आवश्यक नहीं है, अपितु न्याय की पालन होनी भी अतिआवश्यक है, जिससे किसी भी पक्ष के विधिक अधिकार प्रभावित नहीं हो। इस प्रकरण में वर्ष 2012 में निर्णय पारित होने के पश्चात भी उसकी पालना नहीं होना अत्यन्त ही गंभीर विषय हैं। चूंकि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा सीलिंग अपील संख्या 2813/2005 में दिनांक 05.12.2012 को निर्णय पारित करते हुए ग्राम खुडाला के नामान्तरकरण संख्या 508 दिनांक 02.02.2005 को अपीलाण्ट/प्रार्थी के खातेदारी की विवादित भूमि को अधिग्रहण किये जाने की सीमा तक निरस्त किया जाकर विवादित भूमि को पूर्वानुसार अपीलाण्ट/प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किए है, तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में पूर्व की स्थिति बहाल की जानी आवश्यक एवं न्यायसंगत प्रतीत होती हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बाली को आदेश दिए जाते है कि वे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा सीलिंग अपील संख्या 2813/2005 में दिनांक 05.12.2012 को पारित निर्णय की पालना में ग्राम खुडाला के नामान्तरकरण संख्या 508 दिनांक 02.02.2005 को अपीलाण्ट/प्रार्थी के खातेदारी की विवादित भूमि को अधिग्रहण किये जाने की सीमा तक निरस्त करते हुए विवादित भूमि को पूर्वानुसार अपीलाण्ट/प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज किये जाने की कार्यवाही करे। इस आदेश की प्रति तहसीलदार बाली को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 9/10/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/10/20